

प्रपत्र -2

परिशिष्ट

राज्य_सरकारों_तथा प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अंतर्गत पूर्व अनुमित लेने का फार्म

भाग-1

परियोजना का नाम :-126कि० मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के० वी० विद्युत लाइन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 (प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 1.68 हे०) तक निर्माण कार्य

1	क)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना /स्कीम का संछिप्त विवरण	उत्तराखण्ड राज्य में 126 किमी लंबी ऋषिकेश - कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाइन सामरिक दृष्टि से राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। प्रस्तावित परियोजना से जनसामान्य के आवागमन की सुगमता और सुरक्षा बढ़ेगी एवं वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। यह परियोजना क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह परियोजना क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी सहायक होगी। अतः सम्पूर्ण रेल परियोजना को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए विद्युत् आपूर्ति के हेतु 33 के० वी० विद्युत् लाइन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 निर्माण कार्य किया जाना है।
	ख)	1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	प्रारूप 8 के साथ संलग्न है।
	ग)	परियोजना की लागत	INR 15,000 Crore
	घ)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	उत्तराखण्ड का 65% भूभाग वन भूमि के रूप में अभिलिखित है व राज्य के पर्वतीय जनपदों में वन भूमि का क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष 50 से 90 प्रतिशत तक है। उत्तराखण्ड वन बाहुल्य राज्य होने व राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत इस पर्वतीय राज्य के विकास के परिप्रेक्ष्य में अति महत्वपूर्ण है वन बाहुल्य राज्य होने व राज्य के पर्वतीय जनपदों में विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वैकल्पिक गैर वन भूमि की अनुपलब्धता के

		कारण विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन ही एकमात्र विकल्प है । भारतीय रेल मानदंडों क्षेत्रीय विकास मापदंडों और उपयुक्त भूमि की उपलब्धता एवं उत्तराखंड राज्य में 65% भूमि जंगल (वन) के तौर पर दर्ज होने के कारण प्रस्तावित भूमि वन क्षेत्र (जोकि उत्तराखंड सरकार और कम घनत्व वाले आरक्षित वन भूमि) जाने को बाध्य है ।	
	ड)	लागत लाभ विश्लेषण (सन्लग्न किए जाने के लिए)	प्रारूप 29 के साथ संलग्न है ।
	च)	रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है	ट्रेन संचालन और रख-रखाव के लिए वार्षिक स्थाई कर्मचारियों की संख्या- 450 निर्माण अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रोजगार 6400 @ Rs 25000/महीना 7 वर्ष की अवधि के लिए ।
2		कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	प्रारूप-15 और प्रारूप - 15.1 के साथ संलग्न हैं ।
3		परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	लागू नहीं है ।
	क)	परिवारों की संख्या	लागू नहीं है ।
	ख)	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	लागू नहीं है ।
	ग)	पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं है ।
4		क्या पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम ,1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ?(हाँ /नहीं)	लागू नहीं है ।
5		प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दंड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता सन्लग्न की जाए)	प्रारूप- 42, प्रारूप- 43, प्रारूप- 44, प्रारूप- 45 और प्रारूप- 46 के साथ संलग्न है ।

6	निर्देशों के अनुसार सन्तुल्य अपेक्षित प्रमाण पत्रों /दस्तावेजों का ब्यौरा	
	प्रपत्र-1	प्रतिवेदन
	प्रपत्र-2	भाग-1, (राज्य सरकारों तथा प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अंतर्गत पूर्व अनुमित लेने का फार्म)
	प्रपत्र-2.1	भाग- 2, (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
	प्रपत्र- 2.2	भाग- 3, (सम्बंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
	प्रपत्र-2.3	भाग- 4, (नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष , वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)
	प्रपत्र-2.4	भाग-5, (वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)
	प्रपत्र-3	Authority letter
	प्रपत्र-5	वित्तीय स्वीकृति
	प्रपत्र-6	प्रारंभिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप
	प्रपत्र-7	SITE INSPECTION REPORT
	प्रपत्र-8	प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र
	प्रपत्र-9	डिजिटल मानचित्र
	प्रपत्र-10	गूगल मानचित्र (kml file)
	प्रपत्र-11	Justification
	प्रपत्र-12	गूगल मानचित्र (kml file) जिसमें संरेखण के तीन विकल्प दर्शाये गये हैं, की हार्डकापी संलग्न है।
	प्रपत्र-13	विकल्प निरस्तीकरण
	प्रपत्र-14	मांग न्यूनतम का प्रमाण
	प्रपत्र-15	लैन्ड शेड्यूल (आरक्षित वन भूमि)
	प्रपत्र-16	परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण
	प्रपत्र-17	बार चार्ट
	प्रपत्र-18	कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण
	प्रपत्र-19	वृक्षों का विवरण
	प्रपत्र-20	वृक्षों का सारांश
	प्रपत्र-20.1	परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन
	प्रपत्र-21	वस्तुविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

		प्रपत्र-22	बांज वृक्ष
		प्रपत्र-23	वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में
		प्रपत्र-24	न्यूनतम वृक्षों का पातन
		प्रपत्र-25	हवाई दूरी
		प्रपत्र-26	परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने अथवा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के 10.00 कि०मी० की परिधि के अन्तर्गत होने की दशा में लागू
		प्रपत्र-27	परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने की दशा में भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति
		प्रपत्र-28	आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र
		प्रपत्र-29	Cost Benefit Analysis
		प्रपत्र-30	फोर्मट्स 30-30.4 SEPRATOR
		प्रपत्र-31	परियोजना का मदवार विवरण
		प्रपत्र-32	भवन आदि का ले-आउट
		प्रपत्र-33	भू-वैज्ञानिक की आख्या
		प्रपत्र-34	भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र
		प्रपत्र-35	Task force
		प्रपत्र-36	मानक शर्त
		प्रपत्र-37	धार्मिक स्थल न होने का प्रमाण
		प्रपत्र-38	वन्य जीव की छति न पहुचाने
		प्रपत्र-39	मिटटी का तेल
		प्रपत्र-40	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र
		प्रपत्र-41	लीज रेंट का प्रमाण
		प्रपत्र-42	वृक्षारोपण का 10 वर्षीय प्राकलन
		प्रपत्र-43	वृक्षारोपण स्थल
		प्रपत्र-44	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल
		प्रपत्र-45	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का रंगीन गूगल मानचित्र,
		प्रपत्र-46	परियोजना स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों/पथवृक्षारोपण/100 वृक्षों/काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना वृक्षों/बौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण का प्राक्कलन
		प्रपत्र-47	भूमिधर का अनापत्ति
		प्रपत्र-48	भूमिधर के अनुबन्ध
		प्रपत्र-49	मलबा निस्तारण

		प्रपत्र-50	एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन
		प्रपत्र-51	एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र
		प्रपत्र-52	प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन
		प्रपत्र-53	लीज अवधि का प्रमाण -पत्र
		प्रपत्र-54	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र
		प्रपत्र-55	प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान
		प्रपत्र-56	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृती
		प्रपत्र-57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र

दिनांक : 04-03-2022

स्थान : नई दिल्ली

हस्ताक्षर
 अधिशासी अभियन्ता
 नाम वितरण खण्ड
 उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि०
 नई दिल्ली (गढ़वाल)